फर्द अहकाम

हीरालाल बनाम जीनी डिसाउजी

नाम न्यायालय

केस संख्या प्रा.पत्र 89/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/10/19	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय राज्य कार्य में आज हैं। अतः पत्रावली पुनर्योजना दिनांक 4/12/19 को पेश हो।
	4-12-19	पत्रावली हीरा - हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश 39 नियम 1/2 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. 1908 तहत संलग्न की आधार पर प्रस्तुत की जिसमें पर सुनवाई की। प्रार्थी के इस वकील प्रार्थी ने अपने लिखित प्रार्थी की आवासी भूमि खसरा नम्बर 560/1 (0.04), 579/729 (0.08), 583/1 (0.48), 700/1 (0.54) कुल क्षेत्रफल 1.13 है। पक्षकारान उक्त भूमि के विक्रय हेतु लिखित इकरारनामा दिनांक 8-6-18 का संलग्न किया है जिसके इकरारनामा 700/1 (0.54)

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम ~~श्रीमती मिश्रडेवी~~ चीतरमल पक्षरगढी

संख्या/वर्ष उपखण्ड 89/2018 : _____ / 20 _____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18 सीमाज्ञान 3102-03 दिनांक 18-5-18 की भावना में हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंचकर सीमाज्ञान करवाया गया। जिसको चार नम्बर से चिन्हांकित किया जो सही पाया गया। पड़ौसी खातेदार संतुष्ट नहीं होने जाहिर किया फर्द मौका मिसल पढ कर सुनकर हस्ताक्षर किये। इसमें वकील पार्टी की बहस पर मनन किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जाये पर। वकील पार्टी का प्रार्थना-पत्र आरटीआई धारा 111 व 128 राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम 1955 तहत सीमाज्ञान के आधार पर पक्षरगढी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार साँगानेर को निर्देशित किया जाता है कि पार्टी की जरायती पटाधरती रकबा 560/1 0.04, 579/729 0.08, 587/1 0.46, 700/1 0.04 कुल क्षेत्र 4 भुज रकबा 1.13 है, वाके ग्राम मदरामपुरा तहसील साँगानेर जिला	

17

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय

चौरसन बनाम पकौरी किसेडवी

मुकदमा संख्या/वर्ष पक्षुरगाही प्रापत 87/2018 /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		जयपुर के स्थित है का मुताबिक सीमाज्ञा 8-6-18 के अनुसार पकुरगाही की जावे। यदि पकुरगाही दौरान पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त कर विवादित आराजीयान (प्रार्थी/प्रतिवादिगण) की पकुरगाही करवाई जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के बाद तकमील यानिमल दफ्तर है। दिनांक आज रिपोर्ट 4-12-19 को सेवे इजलास सुनाया गया।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ghanshyam Sharma
Date: 2019.12.22 14:39:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: